~~उपसूचा 14 फारम संख्या 382~~

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक बलदेव गोप वगै० ......प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129 ......द्वितीय पक्ष

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....129......सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
01/10/21	आवेदक / आवेदिका – बलदेव गोप वगैरह पिता / पति – स्व0 बैजनाथ गोप, ग्राम – बगोदर, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह, द्वारा द0 प्र0 स0 कि धारा 144 के अन्तर्गत विवादित भुमि मौजा – बगोदर, थाना – बगोदर खाता सं0 – 167, प्लॉट न0 – 136, रकवा – 22 डी0 चौहदी उ0+दं0+पु0+पं0 – हुलास गोप एवं प्लॉट सं0 – 1466 रकबा – 37 डी0 चौहदी उ0 – हुलास गोवार दं0 – चुरवा बडही पू0 – राना प्रसाद प0 – रास्ता खाता संख्या – 192 प्लॉट सं0 – 42, रकबा – 1.03 एकड चौहदी उ0 – सीमाना मौजा बभनी दं0 – प्रीतम गोवार पू0 – पेरुवा गोवार पं0 – अरथ गोवार खाता नं0 – 167 प्लॉट नं0 – 4 रकबा – 40 डी0 चौहदी उ0 – चमरु गोवार दं0 – हरिया गोवार पू0 – हुलास गोवार पं0 – लेदो महतो खाता सं0 – 167, प्लॉट सं0 – 25 रकवा – 11 डी0 चौहदी उ0 – नीज दं0 – नीज पू0 – सडक पं0 – नीज खाता सं0 – 167, प्लॉट स0 – 26 रकवा – 10 डी0	333/21

चौहदी उ0 – प्रीतम गोवार दं0 – नीज

पु0 – हुलास गोवार पं0 – नीज

कुल विवादित खाता कुल प्लॉट 6 कुल विवादित रकवा – 2.23 एकड मे भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्रप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी बगोदर /थाना प्रभारी बगोदर से मांगे।

अभिलेख दिनांक 21/10/21 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अनु0 पदा0
बगोदर-सरिया

अनु0 पदा0
बगोदर-सरिया

का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21/10/21	अभिलेख उपस्थापित। मैं थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी......के पत्रांक...3082 दिनांक...09/10/21...के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक ...28/10/21...को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया।	
28/10/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दि० 18/11/21 को रखें। अनु० प०अ०	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18/11/21	उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा शो॰ दाखिल। To 25/11/21 (हस्ताक्षर) 18/11	
25/11/21	उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष को सुना। आदेशार्थ। (हस्ताक्षर) 25/11	
27/11/21	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन तथा थाना प्रभारी बगोदर के प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार प्रश्नागत भूमि पन्ना गोवार वो हुलास गोवार के नाम से खतियानी है जो प्रथम पक्ष के पूर्वज हैं। उक्त जमीन की जमाबंदी प्रथम पक्ष के रैयतों के नाम से कायम है। प्रथम पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतियान की छाया प्रति दाखिल किया गया है। (हस्ताक्षर)	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

द्वितीय पक्ष के द्वारा
विस्तृत कारण पृच्छा दाखिल
किया गया। द्वितीय पक्ष के
अनुसार उन्हें बजरिये
केवाला सं० - 361 वर्ष
1929 के द्वारा पेट-गोप वल्द
मंगी गोप से हासिल
है। बजरिये केवाला सं०-
3129, दिनांक - 30/04/1955
को लमन गोप के द्वारा
एक मात्र पुत्री लोचनी देवी
को बिक्री कर दिया। लोचनी
देवी बजरिये केवाला सं०-
5958 दिनांक 28/05/1966
के द्वारा किशुन गोप के
पास बिक्री कर दिया। पुनः
लोचनी देवी ने सुन्दर लाल
एवं किशुन गोप को 28/2/1972
को बिक्री कर दिया। उक्त
भूमि की जमाबंदी अंचल
कार्यालय में कायम है। वर्ष
1973 एवं 1975 में किशुन
गोप के द्वारा लीलावती
देवी पति सुन्दर लाल को
विक्रय कर दिया गया। उक्त
भूमि की जमाबंदी अंचल
कार्यालय में कायम है। प्रथम
पक्ष के द्वारा लगभग
70 वर्षों के बाद मुकदमा
लाया गया है जबकि उनके

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

पूर्वजों के द्वारा पूर्व में ही खतियानी जमीन की बिक्री कर दी गई थी। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में विभिन्न विक्रय पत्रों की छाया प्रति एवं लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

थाना प्रभारी बड़ारोदर के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम पक्ष खतियान के आधार पर अपना दावा करते हैं जबकि उनके पूर्वजों द्वारा द्वितीय पक्ष को बेच दिया गया था।

दाखिल कारणपृच्छा, दस्तावेजों एवं उक्त विवेचन के आलोक में मैं नियमन को द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त करता हूं तथा प्रथम पक्ष के विरुद्ध निषेध घोषित करता हूं। यह आदेश नोटिस निर्गत करने की तिथि से दो महीने तक प्रभावी होगा।

वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.12.21 15:21:29 +05:30
Location: 192.168.43.238

2?/11/21

SDM